न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री श्याम सुंदर चेतीवाल आर ए एस

1. श्री सुशील कुमार पारीक पुत्र श्री मनोहर लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खोंखर तहसील कठूमर जिला अलवर (राज0)।
2. श्री उमेश कुमार पारीक पुत्र श्री मनोहर लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खोंखर तहसील कठूमर जिला अलवर (राज0)।
3. कान्ता पारीक पुत्री श्री मनोहर लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खोंखर तहसील कठूमर जिला अलवर (राज0)।
4. मगनी देवी पत्नी श्री मनोहर लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खोंखर तहसील कठूमर जिला अलवर (राज0)।

----------सायलान

बनाम

1. तहसीलदार कठूमर जिला अलवर (राज0)।

----- गैरसायल

प्रार्थना--पत्र 136 एल आर एक्ट 1956

आदेश दिनांक :– 07.07.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र पेश कर बताया कि आराजी खसरा संख्या 693, 563, 714 रकबा 0.59 हैक्टे0. वाके ग्राम खौंखर तहसील कठूमर में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण के पिता का नाम मन्नू दर्ज है जबकि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम मनोहर लाल है। प्रार्थीगण ने अपने पिता के नाम को शुद्ध करवाने हेतु अपने पिता के नाम मन्नू के स्थान पर मनोहरलाल दुरूस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया । प्रार्थना पत्र के साथ में प्रार्थी ने 50 रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र, स्वयं के आधार कार्ड, पिता का पहचान पत्र व

उपखण्ड अधिकारी

माता का पहचान पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी हल्का व तहसीलदार कठूमर की रिपोर्ट में प्रार्थीगण के पिता का नाम मन्नू के स्थान पर मनोहर लाल दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की गई है।

हमने प्रार्थना पत्र के तथ्यों, सायलान द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं तहसीलदार कठूमर द्वारा की गई अनुशंषा का अवलोन किया। सायलान के प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, स्वयं के आधार कार्ड एवं माता–पिता के पहचान पत्र से आराजी ख. नं. 693, 563, 714 रकबा 0.59 हैक्टे0. वाके ग्राम खौंखर तहसील कठूमर में श्री सुशील कुमार पारीक, श्री उमेश कुमार पारीक, कान्ता पारीक के पिता मन्नू व मगनी देवी के पति मन्नू के स्थान पर मनोहरलाल दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

--:आदेश:--

अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 693, 563, 714 रकबा 0.59 हैक्टे0. वाके ग्राम खौंखर तहसील कठूमर में श्री सुशील कुमार पारीक, श्री उमेश कुमार पारीक, कान्ता पारीक के पिता मन्नू व मगनी देवी के पति मन्नू के स्थान पर मनोहरलाल दुरुस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते हैं एवं उदत्तनुसार जमाबंदी में संशोधित इन्द्राज करें। आदेश की प्रति तहसीलदार कठूमर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(श्याम सुंदर चेतीवाल)
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0